



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, १४ अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०: 151-पारे०अनु०-16/पाकालि-2010/21-पारे०अनु०-16/09

दिनांक : 21 अप्रैल, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० के अन्तर्गत निदेशक (ऑपरेशन) एवं निदेशक (प्रोजेक्ट एवं वक्सी) की शासन स्तर से नियमित नियुक्ति होने तक कार्यहित में मुख्य अभियन्ता (पारेषण) के एक पद को "निदेशक मण्डल" के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न व्यवस्थाओं सहित, दो भागों में विभाजित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है :-

1. **मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन)** - मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) के नियंत्रण में मुख्य अभियन्ता (पारे०-मध्य)/(पारेषण-पूर्व)/(पारेषण-पश्चिम)/(पारे० दक्षिण), लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, मुख्य अभियन्ता (प्रणाली नियंत्रण), मुख्य अभियन्ता (सी०एम०यू०टी०), अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त इकाईयों में मानव संसाधन से सम्बन्धित कार्य-व-मुख्य अभियन्ता (जानपद-पारेषण, प्रथम) एवं मुख्य अभियन्ता (जानपद-पारेषण, द्वितीय) तथा मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन एवं ऊर्जा प्रणाली) अध्ययन प्रकोष्ठ रहेगा।
2. **मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)** - मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) के नियंत्रण में मुख्य अभियन्ता (परिकल्पना एवं कय), मुख्य अभियन्ता (765 के०वी० उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल), मुख्य अभियन्ता (सी० एण्ड सी०) एवं अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि० एवं कय) तथा शक्ति भवन विस्तार, मुख्यालय पर स्थित समस्त पारेषण स्कन्ध से सम्बन्धित मानव संसाधन व भुगतान का कार्य होगा।
3. वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (पारेषण) का एक ही पद स्वीकृत है अतः दूसरा पद उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० के अन्तर्गत अन्यत्र स्वीकृत पदों के विरुद्ध समझा जायेगा।
4. उपरोक्त के फलस्वरूप श्री ए० के० सिंह सम्प्रति मुख्य अभियन्ता (पारेषण) अपने मूल पद के कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्य देखेंगे तथा ई० आर० रिजवी सम्प्रति मुख्य अभियन्ता (परिकल्पना एवं कय) अपने मूल पद के कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) का कार्य देखेंगे। इन अतिरिक्त कार्यों हेतु इनको कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

अध्यक्ष

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०

सं०: 151(I) पारे०अनु०-16/पाकालि-2010

तददिनांक

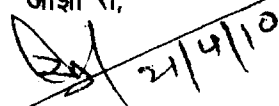
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निजी सचिव।

कमश-2

2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पा०का०लि०, के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) एवं समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० एवं उ०प्र० पा०का०लि० के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ तथा अन्य समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-एक) उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० एवं उ०प्र० पा०का०लि०।
5. मुख्य अभियन्ता (पारे०-मध्य)/(पारेषण-पूर्व)/(पारेषण-पश्चिम)/(पारे०दक्षिण), लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा तथा मुख्य अभियन्ता-विद्युत 765 के०वी० उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल एवं ए०पी०टी०पी० एवं मुख्य अभियन्ता, जानपद-पारेषण (प्रथम)/(द्वितीय)।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-दो), उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि० एवं उ०प्र० पा०का०लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत 765 के०वी० उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल, लखनऊ, एवं अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) -तथा- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय (परिकल्पना एवं क्रय) तथा समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (लेखा शाखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/आय-व्ययक/निधि (प्रशासन) एवं सम्प्रेक्षा, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (आडिट-2), द्वितीय तल, उ०प्र० पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. पारेषण अनुभाग-16 की अन्य समस्त सम्बन्धित पत्रावलियां।

8

आज्ञा से,

(रमेशचन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव (कार्य)